Bb. x bw (v)
Our website
Meena
17/6/10

5621
17/6/10

स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप–3)

क्रमांकः एफ 61(19)ग्रा.वि./म.न./नि.सा.अं./रिकवरी/2009–10/3397-3437 जयपुर, दिनांक :16.6.10

जिला कलक्टर
एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गाँधी नरेगा,
समस्त राजस्थान

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों में वित्तीय अनियमितता करने वाले लोकसेवकों/कार्मिकों से राशि वसूल करने बाबत।
प्रसंग :– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र कमांक 2324–2433 दिनांक 20.05.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वयन में कतिपय कार्यकारी संस्थाओं द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण वसूल योग्य राशि सम्बन्धित सरपंचों एवं कार्मिकों से शीघ्र वसूल करने एवं इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में अ0 शा0 पत्र द्वारा प्रत्येक माह इस विभाग को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु वांछित सूचना अभी तक अप्राप्त है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि ग्राम पांचायतों की राज्य स्तरीय जांच दलों द्वारा की गई विशेष जांच अथवा जिला स्तरीय जांच से उजागर हुई अनियमितताओं के फलस्वरूप वसूल योग्य राशि सम्बन्धित से अविलम्ब वसूल की जाकर सूचना इस विभाग को शीघ्र प्रेषित करावें।

17/6/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव,
ई.जी.एस.

क्रमांकः एफ 61(19)ग्रा.वि./म.न./नि.सा.अं./रिकवरी/2009–10/3397-3437 जयपुर, दिनांक 16.6.10
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर
4. अति0 आयुक्त ई.जी.एस. प्रथम/द्वितीय
5. परियोजना निदेशक, ई.जी.एस.
6. मुख्य कार्यकारी अधि. एवं अति. कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, जि0प0 (समस्त) राजस्थान
7. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सक्षम वसूली प्राधिकारी, जिला परिषद, (समस्त) राजस्थान
8. कार्यालय प्रति

निदेशक,
सामाजिक अंकेक्षण